न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 24/2015

बउनवान

रामावतार गुप्ता उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री प्रेमनारायण जाति–महाजन
निवासी–बीलखेडा डॉग, हाल मुकाम–देवरी उचित मूल्य दूकानदार,
बीलखेडा डॉग, तहसील–शाहबाद जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 04.02.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 12.08.2014 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व जो आरोप लगाये गये है उनमें गेहूँ एवं केरोसीन नहीं देने की शिकायत दिनांक 22.03.2014 को हुई है जिसके आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.04.2014 को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है एवं दिनांक 12.08.2014 को प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूमि राशि जप्तराज की गयी है। अपीलांट पर आरोप है कि वक्त निरीक्षण उपभोक्ता सप्ताह के दौरान दुकान बन्द पायी गई और दुकान बन्द होने का कोई कारण अंकित नहीं है। जबकि दुकान समय 5.00 बजे तक होता है, नियत समय से पहले दुकान चैक नहीं की गई। एवं उसके विरूद्व रिपोर्ट तैयार कर, दिनांक 09.04.2014 को आदेश जारी कर प्राधिकार पत्र निलंबित करने के आदेश पारित किये गये।

2– रसद विभाग द्वारा प्राधिकारपत्र धारक अपीलांट को मौके पर अनुपस्थित रेकार्ड उपलब्ध नहीं मिलना बताया है जबकि रामावतार स्वयं 4.45 बजे तक दुकान पर रहा है एवं रेकार्ड दुकान की रखा गया है। व्यापार स्थल पर हैल्पलाईन नम्बर, स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन एवं दुकान का वितरण संबंधी नोटिस बोर्ड नहीं पाया जाना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। जबकि दुकान के मुख्य दरवाजे के पास ही संबंधित नोटिस बोर्ड लगा हुआ है एवं उसपर हेल्पलाईन नं. व स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन हो रहा है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने फोटोग्राफी नहीं

जिला कलेक्टर बारां
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवायी गयी है। विभाग द्वारा जिन उपभोक्ताओं को माह फरवरी, मार्च,2014 का केरोसीन नहीं देने बाबत बयान लिये गये, उन सभी का कथन है कि एक व्यक्ति ने आकर हमसे जबरन अंगूठा करवाया गया है। दस्तावेज में क्या लिखा है, पढ़कर नहीं सुनाया गया है। इस प्रकार जॉच अधिकारी ने जबरन हस्ताक्षर करवाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आरोप बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं बिना तामील कराये उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं की गयी है।

3— अपीलांट ने इस आदेश दिनांक 09.04.2014 के विरूद्व एक सिविल रिट पिटिशन संख्या 9636/2014 माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर की गयी जिसमें माननीय पीठ ने दिनांक 12.12.2014 को आदेश पारित किया कि डीलर का प्राधिकार पत्र 90 दिन से ज्यादा निरस्त नहीं रखा जा सकता। अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तत्समय नकल प्राप्त कर, जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां आदेश दिनांक 12.08.2014 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

5— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत बीलखेडा डॉग तहसील शाहबाद का उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलांट की दूकान का जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा मय प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 22.3.2014 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। वक्त निरीक्षण अपीलांट की दुकान बंद पाना, जॉच हेतु रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराना, हेल्पलाईन एवं स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होना तथा वितरण संबंधी नोटिस बोर्ड नहीं होने की अनियमितताऐं बतायी गयी है। तथा माह फरवरी–2014 व मार्च–2014 का राशन सामग्री का वितरण नहीं करना बताया गया है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलांट द्वारा नियमित निर्धारित समयावधि में प्रतिदिवस दुकान को खोलकर, उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर राशन सामग्री वितरित की जाती रहीं है। उससे गॉव के किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग उसके परिवार से राजनैतिक द्वेषता रखते है, उनके द्वारा कई बार उसके विरूद्व झूठी शिकायतें की गयी है, पूर्व की सभी शिकायते निराधार पाये जाने पर, दिनांक 22.03.2014 को दबाब में उक्त कार्यवाहीं की गयी है।

6— अपीलांट की दुकान का दिनांक 22.3.204 को निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण सायः 5.00 बजे बाद किया गया था। अपीलांट ने उसी दिन सायः 4.45 बजे को दुकान खोलकर, राशनसामग्री का वितरण किया गया है। अपीलांट पर जो अन्य आरोप लगाये गये है, यह दूकान बन्द के समय के है, स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन बोर्ड पर अंकित है। अपीलांट के विरूद्व वितरण में कोई अनियमितता एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी प्रकार के गबन की कोई शिकायत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व दबाब में कार्यवाहीं की गयी है, जो पूर्णतया एकतरफा होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7— अपीलांट ने यह भी कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अनियमितताओं बाबत दिनांक 31.07.2014 को नोटिस जारी किया गया है, जिसकी तामील अपीलांट को नहीं हुई है। तामील कुनन्दा रिपोर्ट अनुसार नोटिस नदी नाले में उफान होने से तामील नहीं होने की असमर्थता व्यस्त कर, दिनांक 12.08.2014 को तामील कुनन्दा द्वारा रिपोर्ट अंकित कर, नोटिस वापस भिजवाये गये है, जो अधीनस्थ न्यायालय का बाद में प्राप्त हुये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस की तामील का इन्तजार किये बिना हीं आनन–फानन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनैतिक दबाव में अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व लगाये गये आरोपो का सत्यापन किये बिना हीं, अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना, बिना नोटिस तामील कराये उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं करते हुये, दिनांक 12.08.2014 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है जबकि उसपर लगाये गये आरोप निराधार है तथा उसके विरूद्व ऐसा कोई आरोप प्रमाणित नहीं है जिसके आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2014 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर, सप्लाई दिलायी जावे।

8— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट डीलर के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 22.03.2014 को जिला रसद अधिकारी, बारां मय प्रवर्तन स्टॉफ डीलर की दूकान की जॉच हेतु पहुॅचे है। मौके पर डीलर की दुकान बंद पायी गयी। डीलर मौके पर नहीं मिला। सूचना करने पर भी उपस्थित नहीं होने पर मौका पर्चा तैयार किया गया तथा अनियमितताओं की पुष्टि हेतु ग्रामवासियान् से पूछताछ की गयी। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गया है तथा आम उपभोक्ताओं को माह फरवरी व मार्च–14 के खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है, जिसका दोषी पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट तैयार कर डीलर के विरूद्व कार्यवाहीं की गयी है। डीलर जानकारी होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। डीलर आदतन अनियमितता करने का दोषी है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा बाद जॉच आरोप प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त हीं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई खामी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील निराधार होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

9— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व जो आरोप लगाये गये है वह प्रमाणित नहीं है तथा उसे नोटिस की कोई तामील नहीं हुई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अनुपस्थिति में बिना सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, एकतरफा कार्यवाहीं की गयी है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रसद का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त हीं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट की दुकान का शिकायत के आधार पर दिनांक 22.03.2014 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें दुकान बंद पाये जाने पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस संबंध में अपीलांट का मत रहा है कि दुकान का निरीक्षण सायः 5.00 बजे बाद किया गया है। अपीलांट द्वारा 4.45 तक दुकान खोली गयी है एवं स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड पर अंकित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अनियमितता बाबत दिनांक 31.07.2014 को नोटिस जारी किया गया है जिसकी ना तो अपीलांट को कोई तामील हुई है ना हीं कोई सूचना हुई है। तामील कुनन्दा रिपार्ट से स्पष्ट होता है कि नोटिस अदम तामील जिला रसद अधिकारी, बारां को भिजवाया गया है। तामील कुनन्दा की रिपोर्ट दिनांक 12.08.2014 को अंकित की हुयी है। इससे यह प्रतीत होता है अधीनस्थ न्यायालय मे तामीली नोटिस अपीलांट/डीलर का बाद में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बिना सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई किये एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

10— अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 12.08.2014 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरे इजलास खोला जाकर सुनाया गया।

( )
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवेचन न करके भारी भूल की है।